


निर्णय

फर्द अहकाम
(नियम 15)

08.2024

2024/497

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
महावीर आदि बनाम रामेश्वर आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 374 वर्ष 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.08.2024 | वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12.08.2024 को पेश हो। 01 7 | |
| 08.2024 | वकील कीने प्राचीन- पत्र सिवाल पेसी पेश करते पर पत्रावली को पेसी में लिया गया। बकुलार फरिडेन उपखण्ड प्रसि वही कर, 12.08.2024 के लिये वकील श्री प्रबु कुमार उपखण्ड कारर रकवाल दावा पेश किया जिसे शासिल फरिल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टैल 09.09.2024 आईन्दा तारीख 08.2024 को पेश हो। 01 7 | रामेश्वर पूजा पार्वती कंचन |
| 09.08.2024 | बकुलार फरिडेन उपखण्ड/ स्टैल 09.09.2024 प्राप्त उष्ण बहस सुनी गई। पत्रावली का इन्कोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट व वही प्रसि वही की आपसी सहमति के आधार पर वाद वही दिखी किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से निष्ठाया जाकर शासिल फरिल किया जावे। पत्रावली नम्बर के काम की जाकर वाद तद्विहितकाल में जावा दाखिल करवा हो। 01 7 |  |

डिक्री बमुकदमें ईव्त्दाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-374/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. महावीर पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. हेमराज पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. राधा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. पूजा पुत्री कृष्ण पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एल.एम. तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर,राज0।
3. पार्वती पुत्री कृष्ण पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी भोपालपुरा तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर,राज0।
4. कंचन पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
5. तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0
6. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादीगण
श्री रामेश्वर वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5, 6

निर्णय दिनांक:- 08/08/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि मौजा धन्नासर बरानी के खाता संख्या 145/46 के खसरा नम्बर 371 की 12.5360 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि व चक नम्बर 7 के.डी.डी. के खाता संख्या 116/103 के पत्थर नम्बर 93/32(71) किला नम्बर 6/2, 7/2, 14/2, 15/2 की 0.6190 हैक्टेयर व चक नम्बर 5 के.डी.डी. के खाता संख्या 52/46 के पत्थर नम्बर 93/40(58) किला नम्बर 8, 9/1, 12/1, 13, 18, 19/1, 23/1 व पत्थर नम्बर 93/48(57) के किला नम्बर 18, 23/2 व पत्थर नम्बर 94/33(59) किला नम्बर 3/1, 14 व पत्थर नम्बर 94/41(60) किला नम्बर 3, 8, 13 इस प्रकार कुल 2.9350 हैक्टेयर व तहसील पल्लू की रोही मौजा घणियासर के खाता संख्या 223/230 के खसरा नम्बर 5 की 4.6800 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08/08/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

